न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः-श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः-619/2012/225 (2012/00051)

1. गंगाराम पुत्र कालूराम,
2. छोगाराम पुत्र कालूराम,
3. श्रवण पुत्र गोरधन,
4. मांगीलाल पुत्र छोगाराम,
5. रामचन्द्र पुत्र गंगाराम,
6. बोदूराम पुत्र गोरधन,
7. हरिराम पुत्र गोरधन,
8. घीसाराम पुत्र छोगाराम,
9. रामलाल पुत्र श्रवण,

समस्त जाति गुर्जर (बोकण, निवासी रामगढ़, (कल्याणीपुरा), तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

श्री मंदिर सालगराम जी महाराज मूर्ति जरिये पुजारीः-

1. मांगीदास पुत्र स्व0 हनुमान दास, निवासी कल्याणीपुरा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व विरूद्व आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 21.10.2011 अंतर्गत प्रकरण संख्या 69/2011.

उपस्थितः-

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पोडेंट अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः- 18.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 21.10.2011 के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 183 बाबत् बेदखली राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 102 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नंबर 109 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा भूमि माफी मंदिर सालगराम जी स्थान कल्याणीपुरा की खातेदारी में दर्ज है । वादीगण के पूर्वज पुजारी थे एवं वर्तमान में उनकी मृत्यु के बाद मंदिर की पूजा-अर्चना करते आ रहे है । पूर्व में माफी पुजारी के नाम खुदकाश्त चली आ रही थी जिसे दिनांक 4.6.1992 को पुजारियों का नाम विलोपित किया जाकर वर्तमान में मंदिर के नाम दर्ज है । उक्त आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 9 व उनकी

परिवार की औरतों ने जबरन कब्जा कर लिया है और उन्हें कब्जा हटाने को कहा गया तो मना कर दिया । इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । उक्त वाद के वाद के साथ प्रार्थी/रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर विवादित आराजियात पर रिसीवर नियुक्त किये जाने की प्रार्थना की । विद्वान अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 21.10.2011 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात पर तहसीलदार, किशनगढ़ को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष मंदिर की ओर से पुजारी ने जो वाद पेश किया था उसे पेश करने के लिये सक्षम नहीं था क्योंकि वह मंदिर का पुजारी नहीं है एवं न ही उसने देवस्थान विभाग से पुजारी होने का प्रमाण पत्र ही पेश किया था । यह भी कथन किया कि वादी ने अधी0न्याया0 में आदेश 1 नियम 8 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति भी प्राप्त नही की थी जिससे भी उसका वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 में धारा 183 राज0काश्त0अधि0 बेदखली हेतु वाद पेश किया था जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत् रिसीवरी स्वीकार करने का अधिकार अधी0न्याया0 को नहीं था । रिसीवरी का अनुतोष वाद स्वीकार होने के उपरांत ही पारित किया जा सकता था । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण की ओर से खसरा गिरदावरियां पेश की गई है जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर पूर्व में अपीलांटस के पूर्वज एवं उनके पिता कालूराम संवत् 2014 से ही काबिज काश्त है एवं विवादित आराजियात को काफी रूपया लगाकर काबिल काश्त बनाया है तथा एक कुआं भी खुदवाया है। इसलिये काबिज काश्तकार को रिसीवर की आड़ में बेदखल नहीं किया जा सकता है । मंदिर की ओर से जो वाद जरिये पुजारी मांगीदास व प्रहलाददास ने पेश किया है जबकि उन्होंने स्वंय ने विवादित आराजियात को इकरारनामा दिनांक 9.9.2001 के द्वारा गिरवी रखकर 25,000/—रू0 नकद प्राप्त किये थे । ऐसे व्यक्तियों का हित मंदिर के विपरीत था इसके बावजूद पुजारियों द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात पर रिसीवर नियुक्त करने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 21.10.2011 के पश्चात् एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 (2) राज0काश्त0अधि0 अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया था तथा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से नकद प्रतिभूमि राशि पर काश्त हेतु विवादित आराजियात दिलवाये जाने का निवेदन किया था जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 14.8.2012 को निरस्त कर दिया । उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त करने के उपरांत प्रार्थीगण ने अधिवक्ता से संपर्क करने पर अपील पेश करने की सलाह दिये जाने पर अपीलांट ने जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
7. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर विवादित आराजियात की सुरक्षा हेतु रिसीवर नियुक्त करने का निवेदन किया था जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर विवादित आराजियात पर तहसीलदार, किशनगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात माफी मंदिर श्री सालगराम जी महाराज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी आराजियात की सुरक्षा किया जाना न्यायालय का दायित्व है । इसके अतिरिक्त मंदिर मूर्ति (नाबालिग) की भूमि से कोई व्यक्ति अनुचित लाभ प्राप्त नहीं कर सके यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है । मूल वाद अभी विचाराधीन है । वर्तमान में मंदिर मूर्ति की आराजियात की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्वान अधी0न्याया0 ने नायब तहसीलदार, किशनगढ़ को विवादित आराजियात पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।
8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2011 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर